न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 80/2019 निर्णय दिनांक – 31.05.2019

1. निर्मल कुमार पिता भंवर लाल जाति जैन उम्र 60 वर्ष निवासी बिनोता हा0मु0 अहमदाबाद
2. विनोद पिता भंवर लाल जाति जैन उम्र 57 वर्ष निवासी बिनोता हा0मु0 अहमदाबाद
3. मदनलाल पिता प्यारचंद जाति जैन उम्र 82 वर्ष निवासी बिनोता, हा.मु. सविता कॉलोनी निम्बाहेडा राज0।
4. मिठ्ठालाल पिता प्यारचंद जाति जैन उम्र 78 वर्ष निवासी सविता कॉलोनी निम्बाहेडा राज0।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. दिलीप सिंह पिता जसवंत सिंह सोलंकी उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. छगनलाल पिता मांगीलाल पाटीदार उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. मंगीलाल पिता अम्बालाल सिंगलींगर उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. प्रभुलाल पिता अम्बालाल सिंगलींगर उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. कनीराम पिता नारायण गुजर, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. शंकर पिता नारायण जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 313 की आराजी नं0 103 रकबा 0.27 हेक्टेयर व आ0नं0 104 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीया की खातेदारी कि वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 313 की आराजी नं0 103 रकबा 0.27 हेक्टेयर व आ0नं0 104 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.12 15:21:23 IST
Reason: SelfAttested